

1. विद्युत कारखाने की संगठनात्मक संरचना

श्रीमति स्वाति जैन
उप मुख्य बिजली इंजीनियर(कारखाना)

कावेरी गुप्ता
जिला बिजली इंजीनियर(मार्डनाइजेशन)

स.बि.इंजी./पीआर, अजमेर

2. एक दृष्टि में

i) विद्युत कारखाना

कुल क्षेत्र	16236 वर्ग मीटर(लगभग)
कुल कवर्ड क्षेत्र	4024.27 वर्ग मीटर (लगभग)
पता	विद्युत विभाग, कैरिज कारखाना, अजमेर (राजस्थान) –305001
दूरसंचार	दूरभाष नं. 0145– 2660688
	फैक्स नं. 0145– 2660688

3. कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य

i) उप मुख्य बिजली इंजीनियर(कारखाना) अजमेर

उप मुख्य बिजली इंजीनियर(कारखाना) अजमेर कारखाना के विद्युत विभाग के प्रभारी हैं और निम्नलिखित कार्य देखते हैं

- क) बी.जी. कन्वेंशनल और ए.सी. कोचों की पीओएच इसमें पैलेस ऑन व्हील की पीओएच भी शामिल है।
- ख) अजमेर कारखाने के पावर सप्लाई इन्स्टोलेशन का संचालन एवं रखरखाव जिसमें शामिल है— 33/11 के. वी. का एक सब स्टेशन, स्टैंडबाई सप्लाई सिस्टम जो कि 1 X 1750 डीजी सेट, 2 X 750 केवी का डीजी सेट से बना है, एवं 08 नं. 11/.4 केवी के सब-स्टेशन तथा अन्य इन्स्टोलेशन / इक्यूपमेंट।
- ग) सभी सेवा भवनों में पावर सप्लाई सिस्टम का संचालन एवं रखरखाव जिसमें 6 नग स्टील एसी 2 टन व 3 नग स्पलिट एसी .75 टन एवं 58 विंडो ए.सी. यूनिट और 74 वाटर कूलर का कार्य भी शामिल हैं।
- घ) ये, विभिन्न चयनों, उपयुक्तता परीक्षा और दक्षता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट इत्यादि के द्वारा अपने अधीन कार्यरत लगभग 894 कर्मचारियों की पदोन्नति, पदावनति और स्थानान्तरण सहित स्थापना संबंधी सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है।
- च) विद्युत विभाग— कारखाना क्षेत्र का बजट नियंत्रित करना।
- छ) रु.4 करोड़ तक का कार्य ठेका देना और इनके अधीन विद्युत परिसंपत्ति के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री की खरीद
- ज) तकनीकी कार्यों और ड्यूटी का निर्वहन करने में इनकी सहायता एक जिला बिजली इंजीनियर (वरि. वेतनमान अधिकारी) करते हैं और स्थापना संबंधी मामलों के लिए एक सहायक कार्मिक अधिकारी (विद्युत) (कनि. वेतनमान) सहायता करते हैं।
- झ) उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपी गई अन्य कोई ड्यूटी

ii) जिला बिजली इंजीनियर (कारखाना) अजमेर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं –

- 1) पीसीओ लोको कारखाना में इलेक्ट्रिक गतिविधियों के इंचार्ज
- 2) वे फेल्टोर विश्लेषण एवं आर.डी.एस.ओ. द्वारा जारी एस.एम.आई, एम.एस. कोच पीओएच क्वालिटी को सुनिश्चित करना तथा समय समय पर जारी अन्य निर्देशों का जोकि उनके कार्यक्षेत्र में है का क्रियान्वयन कराना।
- 3) रेलवे पावर हाउस अर्थात 33/11 के.वी. 2x5 एमवीए इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और स्टैंडबाई आपूर्ति व्यवस्था के प्रभारी
- 4) ए.वी.वी.एन.एल. से ली गई पावर सप्लाई को पावर हाउस के द्वारा अजमेर कारखाना समूह को सप्लाई की निगरानी एवं सुनिश्चित करना

- 5) कैरिज शाप तथा लोको कारखाना, में विद्युत संबंधी गतिविधियों की देखरेख करेंगे ।
- 6) फेलियर एनेलेसिस तथा समय समय पर आरडीएसओ द्वारा जारी की गई एसएमआई, एम.एस. व अन्य निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।
- 7) अजमेर कारखाने में बिजली विभाग के सभी वाहनों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होंगे ।

11.) सहायक कार्मिक अधिकारी (विद्युत) अजमेर –

उप मुख्य बिजली इंजीनियर (कारखाना), अजमेर को उनके दैनिक कर्मचारी स्थापना संबंधी मामलों का निपटारा करने में सहायता करेंगे ।

IV) कर्मचारी :-

विभिन्न शॉपों में कार्यरत लगभग 567 कर्मचारी उपर्युक्त अधिकारियों के निर्देशन में दैनिक मरम्मत और रख-रखाव/पीओएच कार्य करते हैं ।

4. निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया साथ ही पर्यवेक्षण की प्रणाली एवं जवाबदेही

निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया, पर्यवेक्षण की प्रणाली एवं जवाबदेही निम्नलिखित है-

1 उप मुख्य बिजली इंजीनियर (कारखाना), अजमेर :-

वे कारखाने, रेलवे पावर हाउस एवं स्थापना सम्बंधित सभी कार्यों के लिए प्रधान कार्यालय/रेलवे बोर्ड/आरडीएसओ से प्राप्त नीति निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार है। वे दी गई शक्तियों के अनुसार पूरे तंत्र और स्टाफ पर नियंत्रण रखेंगे एवं तंत्र चलाने हेतु पूर्ण जिम्मेदार होंगे ।

2 जिला बिजली इंजीनियर(कारखाना) अजमेर –

जिला बिजली इंजीनियर (कारखाना), उप मुख्य बिजली इंजीनियर (कारखाना) के निर्देशन में काम करते हैं और जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। समूह का लीडर होने के नाते वे समस्त कार्यों के निष्पादन जैसे कि विद्युत तंत्र/टीएल एवं एसी कोचेज से सम्बंधित समस्त मरम्मत, रख-रखाव, पीओएच एवं अनुरक्षण इत्यादि हेतु पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सहायता प्रदान करते हैं। वे तंत्र के रख-रखाव, मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु अपने अधीन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। वे इन सब गतिविधियों के लिए पूर्ण उत्तरदायी व जवाबदेही हैं ।

1- कैरिज शाप, लोको कारखाना, में विद्युत संबंधी गतिविधियों की देखरेख करेंगे ।

2- फेलियर एनेलेसिस तथा समय समय पर आरडीएसओ द्वारा जारी की गई एसएमआई, एम.एस. व अन्य निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।

3- अजमेर कारखाने में बिजली विभाग के सभी वाहनों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होंगे ।

4- इनके कार्यक्षेत्र में आने वाले अनुबन्ध प्रबन्धन संबंधी मामलों को देखेंगे ।

5- इसके अतिरिक्त कैरिज कारखाने के मासिक आउट टर्न अर्थात 84 नॉन ए.सी. व 24 ए.सी. कोच प्रतिमाह तथा एलएचबी कोचेज एसएस-2 व 3 के 11.7 कोच के निष्पादन की देखरेख करेंगे ।

सहायक बिजली इंजीनियर(का) अजमेर –

1- कैरिज शाप, मिलराईट शाप,, लोको कारखाना, में विद्युत संबंधी गतिविधियों की देखरेख करेंगे ।

2- फेलियर एनेलेसिस तथा समय समय पर आरडीएसओ द्वारा जारी की गई एसएमआई, एम.एस. व अन्य निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।

3- कैरिज कारखाना में कार्यरत कर्मचारियों के सभी स्टाफ संबंधी मामले अर्थात पे-शीट, डीएआर, पास/पीटीओ तथा अन्य स्थापना संबंधी मामलों को देखेंगे ।

4- अजमेर कारखाने में बिजली विभाग के सभी वाहनों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होंगे ।

3 सहायक कार्मिक अधिकारी (विवकै) अजमेर –

उप मुख्य बिजली इंजीनियर (कारखाना), अजमेर को उनके दैनिक कर्मचारी स्थापना संबंधी मामलों का निपटारा करने में सहायता करेंगे ।

- 4 पर्यवेक्षक :- 52 पर्यवेक्षक संबंधित अधिकारियों के दिशा-निर्देश के तहत कार्य करते हैं तथा कारखाने में होने वाले समस्त पीओएच से सम्बंधित कार्य व 33 केवी एवं 11 केवी सब-स्टेशन, केंद्रीय एसी प्लाण्ट, विण्डो एसी प्लाण्ट, वाटर कूलर, बिजली से सम्बंधित सेवा भवनों इत्यादि का रख-रखाव एवं परिचालन के समस्त कार्यों हेतु लगभग 515 कर्मचारी इनके अधीन कार्य करते हैं। लगभग 6 मुख्य अनुभाग जिनके प्रधान वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं जो विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं और प्रभारी पर्यवेक्षक अपनी इकाई को आवंटित किए गए कार्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं ।

5 कार्यों को निष्पादित करने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड

कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय/रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंड

1 कारखाना

कार्यों का विवरण

बीजी कन्वेंशनल कोचों का पीओएच

बीजी ऐ.सी. कोचों का पीओएच

एलएचबी कोचों एसएस-2व3

वर्षिक लक्ष्य

1008

312

139

जनवरी 2020 तक वास्तविक आउटटर्न

739

280

159

6. अजमेर कारखाना के विद्युत अधिकारियों की दूरभाष निर्देशिका

अधिकारी का नाम	पदनाम	पोस्ट	दूरभाष नं.				मोबाईल	फैक्स	
			रेलवे		बीएसएनएल			रेलवे	बीएसएनएल (0145)
			कार्यालय	निवास	कार्यालय	निवास			
श्रीमती स्वाति जैन	उमुबिइंजी.(का.)	अजमेर	47200	44351	2660688	2426018	9001196453	47200	2660688
कावेरी गुप्ता	जिबिइंजी.(मोड.)	अजमेर	47204	44353	—	2621714	9001196456	—	—
रिक्त	सबिइंजी.(का.)	अजमेर					9001196473		

7. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा उठाया जाने वाला मासिक वेतन और विनियमों में उल्लेखित क्षतिपूर्ति की प्रणाली

विद्युत कारखाना							
पदनाम	वेतन	सातवें वेतन आयोग में लेवल	कर्मचारियों की सं०	औसत मासिक वेतन लागू भत्तों सहित (रु.)	औसत उत्पादकता प्रोत्साहन प्रति कर्मचारी (रु.)	औसत परिलब्धि कर्मचारी (रु.)	कुल प्रति
अधिकारी							
उमुबिइंजी,	118500—214100 ग्रेड पे 8700	13	1	177431	-	177431	
जिबिइंजी.मोर्डनाइजेशन	67700—208700 ग्रेड पे 6600	11	1	89370	-	89370	
सबिइंजी							
पर्यवेक्षक							
वरि.अनु.अभि, -विद्युत	44900—142400 ग्रेड पे 4600	7	46	69365	4635	74000	
कनि.इंजी.	35400—112400 ग्रेड पे 4200	6	08	62454	3193	65647	
वरि.अनु.अभि, ड्राइंग	44900—142400 ग्रेड पे 4600	7	02	75073	-	75073	
कनि.इंजी. ड्राइंग	35400—112400 ग्रेड पे 4200	6	00	60620	-	60620	
आर्टीजन(पावर/कोचिंग)							
वरि.तकनीशियन	35400—112400 ग्रेड पे 4200	6	151	72020	3966	75986	
तकनीशियन ग्रेड- I	29200—92300 ग्रेड पे 2800	5	134	64525	3348	67873	
तकनीशियन ग्रेड- II	25500—81100 ग्रेड पे 2400	4	46	48811	2781	51592	
तकनीशियन ग्रेड- III	19900—63200 ग्रेड पे 1900	2	112	37836	2472	40308	
खलासी हेल्पर	18000—56900 ग्रेड पे 1800	1	64	36289	1953	38242	
विविध							
मु.का.अधी.	44900—142400 ग्रेड पे 4800	8	00	80980	-	80980	
मु.का.अधी.	44900—142400 ग्रेड पे 4600	7	07	69365	-	69365	
कार्या.अधी.	35400—112400 ग्रेड पे 4200	6	19	70920	-	70920	
वरि.लिपिक	29200—92300 ग्रेड पे 2800	5	02	63525	-	63525	
लिपिक/रिकार्ड सार्टर	19900—63200 ग्रेड पे 1900	2	01	37836	-	37836	
गोपनीय सहायक	44900—142400 ग्रेड पे 4600	7	01	69365	-	69365	
आशुलिपिक	29200—92300 ग्रेड पे 2800	5	01	64525	-	64525	
टंकक	44900—142400 ग्रेड पे 4600	7	01	69365	-	69365	
टंकक	35400—112400 ग्रेड पे 4200	6	00	71920	-	71920	
चपरासी	18000—56900 ग्रेड पे 1800	1	06	37701	-	37701	
दफतरी	18000—56900 ग्रेड पे 1800	1	00	48517	-	48517	

बंगला पीओन	18000-56900 ग्रेड पे 1800	1	00	18841	-	18841
------------	---------------------------	---	----	-------	---	-------

8. प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित बजट, समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये संवितरण पर रिपोर्ट दर्शाते हुये

विद्युत कारखाना –बजट अनुदान और व्यय

(आंकड़े हजार में)

क्र.सं.	व्यय के शीर्ष का विवरण	मांग संख्या	रिवाइज्ड ग्रांट 2019-20	वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2019 तक)
1	टीएल और एसी पर्यवेक्षक और उनके कार्यालय कर्मचारी	6डी100	35459	28865
2	कन्वेंशनल कोचों और एसी कोचों की मरम्मत और रख-रखाव	6डी500	355976	249911
3	अधिकारियों, स्थापना, पर्यवेक्षक और उनके कार्यालय कर्मचारियों का वेतन	7ई100	51837	40795
4	संयंत्रों और उपस्करों की मरम्मत और रख-रखाव	7ई400	61928	38827
5	क्रेडिट / रिकवरी	7ई 900	40000	(-) 36600
6	जेनरेटिंग स्टेशन, एवीवीएनएल से खरीद और अन्य ऑपरेटिंग स्टाफ	8एफ600	12906	9732
7	आवासीय, सेवाओं, कल्याण, भवनों और वॉटर सप्लाई सिस्टम (पम्प) की मरम्मत और रख-रखाव	11जे500	(-) 1094	(-) 15
	योग		557012	331515

9. कार्यालय में अथवा इसके नियंत्रण में रखे जाने वाले या कार्य निष्पादित करने हेतु कर्मचारियों द्वारा रखे जाने वाले नियम, विनियम अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड जो कि ड्यूटी को निर्वहन करने हेतु आवश्यक –

ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु कैरिज शॉप, डीजल एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सीएमटी संगठन और लेखा कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रलेख/मैनुअल रखे जाते हैं –

- 1 भारतीय रेल स्थापना संहिता । और ।।
- 2 भारतीय रेल यांत्रिक संहिता
- 3 वर्क्स मैनुअल
- 4 भारतीय रेल इंजीनियरी संहिता
- 5 भारतीय रेल वित्त संहिता । और ।।
- 6 महाप्रबन्धक द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची ए से ई
- 7 भारतीय रेल दुर्घटना मैनुअल
- 8 फौवट्री एक्ट 1948
- 9 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम
- 10 वेतन भुगतान अधिनियम
- 11 सेवा आचरण नियम 1966
- 12 पास और पेंशन मैनुअल
- 13 लेखा संहिता भाग-।
- क) भविष्य निधि मैनुअल
- ख) वित्त मैनुअल
- ग) इंजीनियरी संहिता
- ध) भंडार संहिता । और ।।
- च) निरीक्षण मैनुअल
- छ) रेलवे – एक परिचय
- ज) प्रशासन और वित्त
- झ) रेलवे पेंशन नियमों का मैनुअल

उपर्युक्त मैनुअल/संहिताओं के अलावा, कर्तव्यों (ड्यूटी) के निर्वहन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु विद्युत कारखानों द्वारा निम्नलिखित भी रखे जाते हैं—

- क) विद्युत अधिनियम 2003
- ख) विद्युत नियम 2005
- ग) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2007
- ध) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001
- च) विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948
- छ) ट्रेक क्रॉसिंग का विनियम 1987

10. आर्थिक सहायता परिदान से संचालित कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका और इस कार्यक्रम के लाभग्राहियों का विवरण, आवंटित राशि के विवरण सहित —

कैरिज शॉप, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए —

----- कोई नहीं -----

11. रियायती परमिट प्राप्त करने वालों तथा उनके द्वारा प्राधिकार दिए जाने का विवरण—

कैरिज शॉप, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सामग्री शोध एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए —

----- कोई नहीं -----

12. इनको दी जाने वाली या इनके द्वारा रखी जाने वाली सूचना के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में —

कैरिज शॉप, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए —

- क) निविदा आमंत्रण सूचना
- ख) निविदा अनुसूची और विनिर्देश
- ग) कार्य ठेके की शर्तें एवं निबंधन
- ध) संविदा की सामान्य शर्तें
- च) संविदा करार

13. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण इसके साथ सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय है तो उसके कार्य घंटे

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए—

----- कोई नहीं -----

14. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए—

अधिकारी का नाम	पदनाम	स्थान	दूरभाष नं.				मोबाईल नं.	फैक्स नं.	
			रेलवे		बीएसएनएल			रेलवे	बीएसएनएल
			कार्यालय	निवास	कार्यालय	निवास			
श्री आर.के.मूढंडा	मु.का.प्रबंधक	अजमेर	47000		2663731		9001196450	47082	2665850
श्री राजेन्द्र कुमार सौरया	कारखाना पर्सनल ऑफिसर एंड पीआईओ	अजमेर	47004	—	2663730	—	9001196458	47082	2665850
श्री अरुण कुमार	पीई एंड एपीआईओ	अजमेर	47010	—	2663734	—	9001196460	47082	2665850

15. ऐसी कोई अन्य सूचना जो निर्धारित की जाये और इसके बाद इसे प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाये

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला

----- कोई नहीं -----

16. रखे गए अथवा नियंत्रण में आने वाले प्रलेखों की श्रेणियों का विवरण

कैरिज शॉप, डीजल एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सीएमटी संगठन और लेखा कार्यालय द्वारा अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित प्रलेख/मैनुअल रखे जाते हैं –

- 1 कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड
- 2 पास/पीटीओ एवं छुट्टी रिकॉर्ड
- 3 तकनीकी विनिर्देश और निविदा अनुसूची एवं संविदा, यदि कोई हो
- 4 ठेकों की सामान्य शर्तें
- 5 ठेकेदारों को भुगतान की अनुसूची, यदि कोई हो
- 6 कर्मचारियों के लिए शिकायत रजिस्टर
- 7 नीति सम्बंधी फाईलें
- 8 संबंधित फाईलें
- 9 वरियता सूची
- 10 पदधारिता (इनकंबेसी)
- 11 संहिताएं, मैनुअल, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि
- 12 व्यक्तिगत प्रकरण
- 13 कर्मचारियों से संबंधित अन्य प्रलेख (कागजात)

17. नीति बनाने और उसको क्रियान्वित करने के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए यदि कोई व्यवस्था हो तो उसका विवरण

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए

----- कोई नहीं -----

18. बोर्ड काउंसिल समिति और दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर बनाये गये अन्य निकाय का विवरण जो इस समिति के एक अंग के रूप में अथवा इसे परामर्श देने के प्रयोजन से गठित हो और यह कि क्या इन बोर्ड काउंसिल समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं ।

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के संबंध में जन प्रतिनिधित्व के साथ व्यवहार (डील) करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है –

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | अपील अधिकारी :- | श्री आर.के.मूंदडा
मुख्य कारखाना प्रबंधक,
कार्या.दूरभाष नं.
रेलवे – 096 – 47000
पीएंडटी– 0145– 2663731
मो0नं0 – 9001196450 |
| 2 | जनसूचना अधिकारी :- | श्री राजेन्द्र कुमार सोरया
कारखाना पर्सनल ऑफिसर
कार्या.दूरभाष नं.
रेलवे – 096 – 47004
पीएंडटी– 0145– 2663730
मो0नं0 – 9001196458 |
| 3 | सहा. जनसूचना अधिकारी:- | श्री अरुण कुमार
उत्पादन इंजीनियर
कार्या.दूरभाष नं.
रेलवे – 096 – 47010
पीएंडटी– 0145 – 2663734
मो0नं0– 9001196460 |